



# BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 16 सितम्बर, 2024

**CRACKDOWN BULANDSHAHR**

थाना कोतवाली देहात

**गौकशी करने वाले बदमाशों से स्वाट टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में 02 बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, पशु काटने के औजार, एक मोबाइल व बाइक बरामद।**

जनपद में तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 15/16.09.2024 की रात्रि में एक अभिसूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात पुलिस व स्वाट टीम अनूपशहर रोड पर ग्राम भाईपुरा के पास संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग कर रही थी तभी एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो नहीं रुके और पीछे मुड़कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने अपनी बाइक ग्राम हजरतपुर से पहले बाग के पास खडंजे पर मोड़ दी तथा हड़बड़ाहट में बदमाशों की बाइक फिसलकर गिर गयी। अपने आप को पुलिस से घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 02 बदमाश गोली लगने से घायल हो गये, जिनको घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाशों की पहचान **1. आबिद पुत्र जब्बार निवासी यासीनगढ़ी वार्ड नं-05 डासना थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद 2. रहीस पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम राजपुर थाना सिंभावली जनपद हापुड़ के रूप में हुई है।** घायल बदमाशों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भेजा गया है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. आबिद पुत्र जब्बार निवासी यासीनगढ़ी वार्ड नं-05 डासना थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद।
2. रहीस पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम राजपुर थाना सिंभावली जनपद हापुड़।

## बरामदगी-

- 1- 02 तमंचा 315 बोर, 03 जिंदा, 03 खोखा।
- 2- 01 स्पेलण्डर बाइक (बिना नम्बर)।
- 3- 01 मोबाइल ओपो।
- 4- पशु काटने के औजारा।

उल्लेखनीय है कि उक्त बदमाश शातिर किस्म के गौकश अपराधी हैं। जिनके द्वारा दिनांक 04.08.2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत आम के बाग में गौकशी की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं 453/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 पंजीकृत किया गया था तथा जिनकी गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

## अभियुक्त रहीस का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-102/16 धारा 2(B)(II)3 गैंगस्टर अधि0 थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं-63/18 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुआ जनपद हापुड़।
- 3- मुअसं-59/18 धारा 147/148/149/307/34 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड़।
- 4- मुअसं-775/18 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 5- मुअसं-173/19 धारा 307/34/411/413 भादवि थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
- 6- मुअसं-175/19 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
- 7- मुअसं-239/19 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
- 8- मुअसं-406/19 धारा 379/411 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

- 9- मुअसं-453/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 10- मुअसं-575/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25,4/25 आयुध अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

### अभियुक्त आबिद का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-376/20 धारा 188/269 भादवि थाना मंसूरी जनपद गाजियाबाद।
- 2- मुअसं-453/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मुअसं-575/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25,4/25 आयुध अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात।
- 2- उ०नि० वरुण शर्मा, उ०नि० शारिक बेग, उ०नि० चन्द्रपाल, का० गौरव राणा, का० अरविन्द, का० अमिता।

### गिरफ्तार करने वाली स्वाट टीम-

- 1- श्री राहुल चौधरी, प्रभारी स्वाट टीम।
- 2- है०का० कपिल नैन, है०का० निकुंज यादव, का० सचिन चौहान, का० नरेंद्र कुमार, का० रोहित कुमार, का० अमित कुमार।



मीडिया सेल बुलंदशहर